संख्या-41/2021/1772/77-3-2021-04बजट/19

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजीपुर/अम्बेडकरनगर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-03 लखनऊः दिनांक: 02 सितम्बर 2021

विषयः पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना से आच्छादित जनपद गाजीपुर को रू0 2117.00 करोड की धनराशि के सापेक्ष जनपद अम्बेडकरनगर को रूपये 02.37 करोड़ की धनराशि स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-4902/यूपीडा/17/599-2 दिनांक 27.08.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी, गाजीपुर द्वारा परियोजना हेतु आंवटित धनराशि के सापेक्ष व्यय विवरण सूचित किया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु रू0 2117.00 करोड की धनराशि प्रदान की गयी थी, जिसके सापेक्ष माह जुलाई, 2021 तक रू0 104.76 करोड की धनराशि अवशेष है। जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर ने सूचित किया है कि परियोजना से संबंधित भूमि क्रय हेतु रू0 95.31 करोड की धनराशि आवंटित की गयी थी, के सापेक्ष माह जुलाई 2021 तक आवंटित धनराशि के सापेक्ष रूपये 95.15 करोड का व्यय किया जा चुका है। सम्प्रति रू0 0.16 करोड अवशेष है। वर्तमान में जनपद अम्बेडकरनगर में परियोजना हेतु सर्विस रोड के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि के अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। उक्त स्थिति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा जनपद गाजीपुर को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 104.76 करोड में से रूपये 02.37 करोड वापस लेकर जनपद अम्बेडकरनगर को स्थानान्तरित करने का शासन से अनुरोध किया है।

3. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु जिलाधिकारी, गाजीपुर के डिपाजिट खाते में जमा धनराशि में से रूपये 02.37 करोड जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के डिपाजिट खाते में जमा करने का कष्ट करें। जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर परियोजना हेतु भूमि क्रय के लिए केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से करेंगे तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्र यूपीडा तथा शासन को यथा समय प्रेषित करेंगे। यूपीडा का यह दायित्व होगा कि वह आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को भेजते समय व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से सन्तुष्ट कर लेंगे।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-41/2021/1772(1)/77-3-2021, तद्‌दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्‌वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्‌वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा पर्यटन भवन, गोमतीनगर लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गाजीपुर /अम्बेडकरनगर।
5. निदेशक, वित्त संाख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6/औद्‌योगिक विकास अनुभाग-2।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।